संख्या-214/22-4-2010-48(28)/08

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-15 फरवरी, 2010

विषयः- नवसृजित जनपद कांशीरामनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 260/नम-4 दिनांक-01 जनवरी,2010 में किए गए प्रस्ताव एवं दी गयी सूचनाओं के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नवसृजित जनपद कांशीरामनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन रु0-58,87,52,000.00 (रूपये अट्ठावन करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार मात्र) (कार्यवृत्त एवं मूल्यांकन टिप्पणी संलग्न) पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय किए जाने हेतु रु0-05,00,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं, प्राविधानों और डिजाईन के युक्तियुक्त होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आधारित होने, मानकीकरण आदेशों के अनुरूप होने एवं नियमानुसार होने का दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम एवं महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ख) आगणनों में सम्मिलित फर्नीचर एवं उपकरणों आदि से संबंधित प्रोपराइटरी और बाट आउट आयटम्स की प्रस्तावित मात्रा का न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर परीक्षण/आकलन करके उच्च गुणवत्ता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों और सामग्री क्रय नियमों एवं सामग्री क्रय नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए महानिरीक्षक, कारागार से विचार विमर्श और अनुमोदन प्राप्त करके क्रय करने का दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम का होगा।

(ग) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व चयनित भूमि पर कब्जा सुनिश्चित कराने और गैर मानकीकृत भवनों और संरचनाओं के मानकीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

...2

(घ) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-08 जनवरी,2010 के कार्यवृत्त में संबंधित आगणनों पर विचारोपरांत लिए गए निर्णयों और मूल्यांकन टिप्पणी में इंगित किए गए बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ङ) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति की मासिक आख्या नियमित रूप से शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(च) योजनानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं/प्राविधानों के आलोक में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(छ) संबंधित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

(ज) स्वीकृत धनराशि के त्रैमासिक प्रगति विवरण/उपयोगिता /पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित विवरण पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर तथा नियमित रूप से यथा समय महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(झ) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन आदि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-2658/दस-2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002, *शासकीय निर्माण* कार्यो के संपादन विषयक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या ई-8-215/दस-1998 दिनांक 9 मार्च, 1998 एवं तद्नुक्रम में जारी अनुवर्ती शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त निर्माण कार्य प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

(ट) निर्माण कार्यों के लिए किसी भी दशा में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का व्यय आगणन में स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

(ठ) आगणनों में अनुमोदित समस्त निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायेगा।

(ड) कारागार में अनावासीय भवनो का निर्माण शासनादेश संख्या-749/22-4-06-48(12)/05 दिनांक-29 जून, 2006 द्वारा निर्धारित मानचित्र, मानक, कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर कराया जायेगा।

(ढ) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

...3

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 25 के लेखा शीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय- 08-कारागारों का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-412/दस-2010 दिनांक-15 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-214(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, कांशीरामनगर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8- समीक्षा अधिकारी
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।